भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3366

01 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शन

3366. डा. एल. हनुमंतय्या:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'नया भारत' रिपोर्ट के लिए नीति आयोग की कार्यनीति के अनुसार वर्ष 2022 तक बेहतर-खेत पर पानी-उपयोग दक्षता (प्रति बूंद अधिक फसल) के साथ सभी खेतों में सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही दिशा में जा रही है;

(ख) विगत पांच वर्षों से अब तक कितनी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं तथा इसके लिए वर्ष-वार कितनी-कितनी राशि आवंटित और जारी की गई है; और

(ग) यह देखते हुए कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निवल सिंचित क्षेत्र निवल बुवाई क्षेत्र का केवल 49 प्रतिशत ही है, सिंचाई योजनाओं के खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं ?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सभी खेतों में सिंचाई एवं ऑन-फार्म जल उपयोग की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। न्यू इंडिया @ 75 के लिए कार्यनीति नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इसी उद्देश्य की परिकल्पना की गई है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर) पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटकों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाएं शामिल

हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएमकेएसवाई के तहत, 99 प्राथमिकता वाले त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) परियोजनाओं को उनके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) क्रियाकलापों सहित, नाबार्ड के तहत 'दीर्घकालिक सिंचाई कोष' के नवोन्मेषी वित्त पोषण को अपनाकर मिशन मोड के माध्यम से तेजी से पूरा करने के लिए चिन्हित किया गया है| चिन्हित 99 परियोजनाओं में से 46 परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना है तथा इन परियोजनाओं से 22.74 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता (सीए) तथा प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं के एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम दोनों घटकों के तहत सृजित क्षमता का विवरण क्रमशः **अनुबंध-I और II** में दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और कायाकल्प (आरआरआर) और भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) उप घटकों के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता तथा प्राप्त क्षमता का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-III और IV** में दिया गया है।

नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, देश में निवल बुवाई क्षेत्र 139.35 मिलियन हेक्टेयर है तथा जिसमें से निवल सिंचित क्षेत्र 71.55 मिलियन हेक्टेयर है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से देश में सिंचाई का कवरेज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तथापि, सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ बाधाएँ हैं; जैसे आउटलेट तक हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी का अभाव, फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए भूमि के नुकसान के कारण किसानों की अनिच्छा, अप्रभावी सिंचाई प्रबंधन, सरकारी नियंत्रित आउटलेट के नीचे संचालन और रखरखाव, कार्यान्वयन एजेंसियों और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता से संबंधित मुद्दे, राज्य के बजट की कमी, आदि।

रा.स.अता.प्र.सं.3366

अनुबंध-I

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के लिए निर्मुक्त केंद्रीय सहायता तथा सृजित क्षमता का राज्य-वार विवरण

सभी लागत/सीए करोड़ रूपये में, क्षमता हजार हेक्टेयर में

राज्य	परियोजना	निर्मुक्त केंद्रीय सहायता							सृजित क्षमता					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2016-21	2021-22	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2016-21
आंध्र प्रदेश	8	7.4	15.23	0	0	0	22.63	0	11.889	10.409	2.027	0	0	24.325
असम	3	0	0	0	0	0	0	0	28.277	0	1.165	0	0	29.442
बिहार	2	0	46.32	37.82	11.98	14.12	110.24	0	10.31	0.4	0.2	1.87003	0.2	12.98003
छत्तीसगढ़	3	13.29	17.25	0	4.09	6.4496	41.0796	3.1188	6.66	9.96	0	0.035	0.1	16.755
गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.179	0	0	0.229
गुजरात	1	961.879	1410.485	1047.29	485.35	177.9566	4082.961	357.2752	116.5	312.18	98.632	28.688	13.911	569.911
झारखंड	1	145.75	305.1	305.88	0	0	756.73	0	79.19	0	0	0	0.612	79.802
कर्नाटक	5	135.464	459.52	197	163.42	231.22	1186.624	0	24.618	81	6.87	1.932	1.336	115.756
केरल	2	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0.24	0.798	0.946	0	2.054
मध्य प्रदेश	21	300.133	181.266	81.01	26.45	19.96	608.819	29.7354	73.733	72.28	16.175	11.22354	1.741	175.1525
महाराष्ट्र	26	379.8625	363.0218	527.54	291.68	301.8468	1863.951	185.5006	66.509	31.494	74.104	66.22438	33.243	271.5744
मणिपुर	2	126.994	25.42	21.93	30.5	23.51	228.354	11.754	4	3.24	2.39	0.004	3.786	13.42
ओड़िशा	8	457.737	464.708	119.38	90.65	76.387	1208.862	0	5.42	17.61	13.1	15.197	3.821	55.148
पंजाब	2	52.416	0	0	0	0	52.416	0	0	11.62	0	0	1.44	13.06
राजस्थान	2	45.89	216.866	95.15	7.04	93.61	458.556	0	0	7.05	0.12	0.07	0	7.24
तेलंगाना	11	545.434	13.242	1.999	214.04	162.82	937.535	0	20.107	84.12	9.733	3.736616	20.358	138.0546
उत्तर प्रदेश	4	135.632	65.6	397.16	407.68	391.84	1397.912	0	67.4	61.132	384.878	181.9728	48.49	743.8728
संघ राज्य क्षेत्र – जेएंडके	3	0	8.2162	16.92	5.07	9.5	39.7062	0	0	0	0	5.255	0.899	6.154
संघ राज्य क्षेत्र – लद्दाख	1	0	1.356	0	0.81	0.81	2.976	0	0	0	0	0	0	0
कुल	106	3307.882	3593.601	2849.079	1738.76	1510.03	12999.35	587.384	514.733	702.735	610.371	317.1543	129.937	2274.93

रा.स.अता.प्र.सं.3366

अनुबंध-I।

99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए सीएडीडब्ल्यूएम घटक के तहत परियोजनाओं के लिए निर्मुक्त केंद्रीय सहायता एवं सीसीए

सभी लागत/सीए करोड़ रूपये में, क्षमता हजार हेक्टेयर मे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य			वित्तीय प्रगति							वास्तविक प्रगति						
	सीसीए लक्ष्य	कुल व्यय लक्ष्य	सीए लक्ष्य	निर्मुक्त सीए 2016-17	निर्मुक्त सीए 17-18	निर्मुक्त सीए 18-19	निर्मुक्त सीए 19-20	निर्मुक्त सीए 20-21	निर्मुक्त सीए 21-22	कुल निर्मुक्त सीए	प्रगति 2016-17	प्रगति 2017-18	प्रगति 2018-19	प्रगति 2019-20	प्रगति 2020-21	प्रगति 2021-22*	कुल वास्तविक सीसीए
आंध्र प्रदेश	178.62	970.98	349.37	0.00	0.00	69.18	0.00	0.00	0.000	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93
असम	49.69	215.46	96.64	0.00	0.00	3.55	0.00	4.00	0.000	7.55	0.00	0.00	11.92	7.97	3.51	2.00	25.40
बिहार	30.51	142.40	50.66	12.64	8.76	14.42	0.00	0.00	0.000	35.82	2.25	5.49	4.00	2.47	3.04	1.02	18.27
छत्तीसगढ	42.63	159.76	79.57	0.00	11.78	9.93	0.00	0.00	0.000	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07
गोवा	11.78	137.92	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.000	3.84	0.01	0.01	0.75	0.08	0.20	0.00	1.05
गुजरात	1363.86	5021.77	2510.88	681.64	690.48	347.04	0.00	0.00	0.000	1719.15	385.28	290.00	260.17	1.59	1.57	59.57	998.18
जम्मू एवं कश्मीर	2.46	11.37	5.24	0.00	0.00	1.70	0.00	1.87	0.000	3.57	0.00	0.00	0.97	0.53	0.19	0.03	1.72
झारखंड	66.65	747.53	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	84.02	1016.59	175.60	31.42	15.24	13.49	3.79	11.34	0.000	75.28	11.08	10.95	8.92	3.79	0.10	3.44	38.28
केरल	18.48	107.30	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.000	2.69	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.60
मध्य प्रदेश	595.52	2536.99	1259.02	77.75	102.79	70.91	0.00	43.32	15.758	310.52	74.94	85.06	46.94	17.40	24.10	12.60	261.03
महाराष्ट्र	500.60	2065.79	967.09	15.17	32.83	25.79	0.00	46.23	21.453	141.47	7.63	16.56	40.81	19.65	24.23	16.17	125.04
मणिपुर	13.06	87.55	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.485	0.49	0.00	0.00	5.03	0.00	3.64	0.00	8.67
ओडिशा	236.40	1266.06	420.40	35.28	58.57	3.65	0.00	34.47	0.000	131.96	10.47	24.40	19.08	9.61	8.03	4.25	75.84
पंजाब	142.66	475.48	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	0.000	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.53	20.53
राजस्थान	117.98	450.88	230.05	0.00	2.48	7.43	10.22	31.26	61.258	112.65	6.86	7.22	7.08	0.46	9.11	22.77	53.50
तेलंगाना	529.03	1460.73	702.21	0.00	10.22	26.12	0.00	0.00	0.000	36.34	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	10.68
उत्तर प्रदेश	524.38	1861.67	914.93	0.00	0.00	0.00	150.00	6.00	0.000	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल :	**4508.33**	**18736.21**	**8235.70**	**853.90**	**933.13**	**593.21**	**164.01**	**203.10**	**98.9537**	**2846.31**	**498.51**	**439.70**	**405.66**	**74.54**	**78.01**	**145.38**	**1641.80**

रा.स.अता.प्र.सं.3366

अनुबंध-।।।

वर्ष 2018-19 से एसएमआई तथा जल निकायों के आरआरआर के तहत प्राप्त क्षमता एवं पूर्ण योजनाओं का राज्य-वार विवरण

प्राप्त क्षमता लाख हेक्टेयर में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		प्राप्त क्षमता	पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या	प्राप्त क्षमता	पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या	प्राप्त क्षमता	पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या
भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना							
1	अरुणाचल प्रदेश	0.0058	130	0.0279	14	0.0009	0
2	असम	0.0995	0	0.0673	15	0	143
3	बिहार	0.09703	12	0.08657	27	0.01302	0
4	छत्तीसगढ	0.005	4	0	0	0	0
5	हिमाचल प्रदेश	0.02153	12	0.05457	8	0.07018	56
6	झारखंड	0.046	38	0	0	0	0
7	कर्नाटक	0	5	0	0	0	0
8	मध्य प्रदेश	0	0	0	2	0	0
9	मणिपुर	0.00704	102	0	0	0	0
10	मेघालय	0	0	0.0307	37	0.0073	5
11	मिजोरम	0	0	0.01589	0	0.00153	0
12	नागालैंड	0.0202	0	0.0198	0	0	60
13	सिक्किम	0.002508	0	0.008287	0	0	0
14	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
15	उत्तराखंड	0.01962	137	0.046	96	0.03	68
16	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	0.08887	10	0.01827	0	0	0
17	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	0.034545	1	0.004128	0	0	0
	कुल (एसएमआई)	**0.447643**	**451**	**0.379415**	**199**	**0.12293**	**332**
जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर)							
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2	बिहार	0	0	0	6	0.17873	0
3	गुजरात	0	0	0.0014	3	0	0
4	मध्य प्रदेश	0	0	0	3	0	0
5	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
6	मेघालय	0	0	0.00027	4	0	0
7	ओडिशा	0.025065	62	0.01457	33	0	0
8	राजस्थान	0.0285167	21	0	14	0	0
9	तमिलनाडु	0.00736885	31	0.00921043	42	0	18
10	तेलंगाना	0.08509	214	0.03621	57	0.00802	66
11	उत्तर प्रदेश	0.02354	8	0	0	0	0
	कुल (आरआरआर)	**0.16958055**	**336**	**0.06166043**	**162**	**0.18675**	**84**

रा.स.अता.प्र.सं.3366

अनुबंध-IV

वर्ष 2018-19 से एसएमआई तथा जल निकायों के आरआरआर स्कीम के तहत निर्मुक्त केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण

रूपए करोड़ में

भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना					
क्र.सं.	**राज्य**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	अरुणाचल प्रदेश	22.25	17.49	104.69	142.73
2	असम	428.34	414.06	205.62	258.7
3	बिहार	32.28	16.14	10.65	0
4	छत्तीसगढ	0	0	0	0
5	हिमाचल प्रदेश	66.2	147.91	59.8	43.253
6	झारखंड	0	0	0	0
7	कर्नाटक	0	0	0	0
8	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
9	मणिपुर	0	0	69.26	75.98
10	मेघालय	31.5	22.22	57.07	92.66
11	मिजोरम	0	11.34	7.65	3.82
12	नागालैंड	35.33	20.46	35.99	25.9093
13	सिक्किम	16.61	9.13	9.33	1.83
14	त्रिपुरा	0	9	0	0
15	उत्तराखंड	61	31.78	0	15.89
16	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	31.7	62.176	96.68	0
17	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	0	6.4	0.9	0
	कुल	**725.21**	**768.106**	**657.64**	**660.7723**
जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर)					
क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	2.7	0	0	0
2	बिहार	6.26	11.82	0	8.6225
3	गुजरात	8.81	0	0	0
4	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
5	मणिपुर	0	24.26	0	0
6	मेघालय	0	0	0	0
7	ओड़िशा	0	0	34.54	0
8	राजस्थान	0	11.96	0	0
9	तमिलनाडु	7.03	16.75	1.25	6.6452
10	तेलंगाना	0	0	0	0
11	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
	कुल	**24.8**	**64.79**	**35.79**	**15.2677**

****